

(176)

(176)

(40)

( ३ )

जिला गजट भागलपुर दिनांक २८ अक्टूबर १९९७

भागलपुर समाहरणालय  
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)  
अधिसूचना

एस० ओ०—300

दिनांक—27-10-97

यदि कि इसके साथ अनुबंध तालिका के तब 1 में उल्लिखित भूधारी द्वारा धारित भूमि के सुधार में भूमि सुधार ( अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन ) अधिनियम 12, 1962 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन विवरण अन्तिम रूप से प्रकाशित हो चुका है।

और कि उक्त विवरण के उक्त तालिका में स्तम्भ 2 से 6 तक में वर्णित भूमि अधिशेष भूमि के रूप में बिलगाई गई है।

इसलिए अब उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व विभागीय अधिसूचना सं० एस० ओ० 0891, दिनांक 17-6-81 द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए मैं तपन कुमार शोध, जिला समाहर्ता, भागलपुर उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिशेष भूमि जो लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, अर्जित करता हूँ।


तालिका

भूधारी का नाम, पिता का नाम व पता	मौजा	खाला	खेसरा	रकबा	श्रेणी
1	2	3	4	5	6

(71)

(30)

भूधारी श्री नरेश प्रमहत्तो	जगदीशचक्र	240	79	3-06	5
पे०श्व० हृदय ना० महतो वगं रह	था० न० ७८		80	0-90	5
सा० तिलकपुर था० सुलतानगंज	था० बिहपुर				
भू० ह० बाद सं० 44/76				3-96	



(2) देखा है



15

( ३ )

जिला गजट भागलपुर दिनांक २० अक्टूबर १९६७

1	2	3	4	5	6
	इतमादी	180	1379	7-00	5
	धा० बेलदौर		1380	9-65	5
	जिला—सगड़िया		1382	0-98	5
			1383	0-63	5
				<u>18-26</u>	



शोसवारा

अंचल का नाम	वर्ग 5	कुल
बिहपुर	3-96	3-96
बेलदौर	18-26	18-26
	<u>22-22</u>	<u>22-22</u>



ह | ०टी० के० घोष  
समाहर्ता, भागलपुर



( ५ )

जिन्ना गजट भागलपुर दिनांक २५ अक्टूबर १९६७

भागलपुर समाहरणालय  
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)  
अधिसूचना

सं. ३००

दिनांक—27-10-97

अ प्रोत्ती में निर्मांकित अनुवाद को भारत म विधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) क  
अधीन अथवा भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

NOTIFICATION


Where as statement under sub-section (1) of section 11 of the Bihar  
land reforms ( Fixation of ceiling Area and acquisition of surplus land)  
Act 1961 (Bihar Act 12 of 1962) with regard to the land held by the land  
holders mentioned in column 1 of the table here annexed <sup>here with</sup> has been finally  
published

And where as in said statement the land described in column 2 to 6  
of the said table have been shown as surplus land. Now therefore in the  
exercise of the power vested in me under sub-section 1 of section 15 of said  
Act, as communicated in Govt. Notification No. 0891 dated 17-6-81, I  
T. K. Ghosh, District Collector, Bhagalpur acquire for the purpose of the  
said Act, the said surplus land which is require for public purpose.

DETAILS OF LAND  
TABLE

Name of the land holders/fathers name and address	Mouza	Khata	Khesra	Area	Class.
---	-------	-------	--------	------	--------

Sri Naresh Pd Mahto	Jagdish check	240	79	3-06	5
S/o Let Hridya Nr. Mahte	T.No. 78		80	0-90	5
At—Tilakpur, P.o. Sultanganj	Pa. Bihpur			3-96	
Dist. Bhegalpur	LCCase No 44/76				





( ५ )

जिला गजट भागलपुर दिनांक २८ अक्टूबर १९९७

1	2	3	4	5	6
	Itmadi	180	1379	7-00	5
	Po.—Beldour		1380	9-65	5
	Dist—Khagaria		1382	0-98	5
			1383	0-63	5
				18-26	

	Abstract	Total
Anchal	v	
Bihpur	3-96	3-96
Khagariya	18-26	18-26
	22-22	22-22

Sd/—T. K. Ghosh  
D.M. Bhagalpur

जिला प्रशासक भागलपुर द्वारा प्रकाशित एवं सीलम प्रेस, भागलपुर-१ में मुद्रित

